न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 81/2021
करण सिंह पुत्र श्री हनुमानाराम, जाति जाट, निवासी महरमपुर, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र बजरंगलाल, जाति जाट, निवासी महरमपुर, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानाराम, जाति जाट, निवासी महरमपुर, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 14.10.2021 बदालत तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी मुकेश कुमार बनाम करणसिंह, मु0न0 03/2021 प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 राज0 काश्त0 अधि0 1955

---

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 04.04.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के आदेश दिनांक 14.10.2021 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार जमीन हाल ख0न0 119 रकबा 0.34 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम महरमपुर तहत तहसील चिड़ावा मे स्थित है। उक्त जमीन का खातेदार रेस्पोडेन्ट नं0 1 मुकेश कुमार है। उक्त जमीन ग्राम महरमपुर तहत तहसील चिड़ावा मे ख0न0 620/122 रकबा 0.56 हैक्टर मे स्थित है। उक्त जमीन का खातेदार अपीलान्ट ... अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 1 मुकेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम महरमपुर मे भूमि ख0न0 119, 574, 119, 120, 620 ... की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे कदीमी प्रचलित रास्ता है जिसको ... के खातेदार करणसिंह पुत्र हनुमानाराम जाति जाट व सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानाराम ने काश्त करके उक्त प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने खेत ख0न0 119 मे आने जाने व कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने मे काफी परेशानी हो रही है। मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर रास्ते को खुलवाया जावे। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत मातहत ने दिनांक 16.08.2021 को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को बिना जबाबदेही का अवसर दिये तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:46 IST
Reason: SelfAttested

तथा अपीलान्ट की मौका जांच रिपोर्ट आपत्ति दरकिनार कर दिनांक 14.10.2021 को आलौच्य निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्व मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आलौच्य निर्णय खिलाफ कानून, न्याय एवं पत्रावली है। मौजूदा प्रकरण मे धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते। ख0न0 620/122 की दक्षिणी सीमा से ख0न0 119 मे आने जाने के लिए कभी कोई रास्ता पगडण्डी मौजूद नही रही। ख0न0 620/122, ख0न0 120, ख0न0 574/199 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे (=========) डोटेड लाइन से हाल नक्शा सीट मे रास्ते का अंकन कर रखा है। उक्त खसरा नम्बरान की गत नक्शासीट मे उक्त डोटेट लाईन की जगह कोई रास्ते का अंकन नही है। दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध टीम ने हाल नक्शा सीट मे उक्त (=========) डोटेड लाईन से रास्ते का जो अंकन किया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर है। कानून से भू–प्रबन्धक टीम को राजस्व रिकार्ड की गत इन्ट्रीज को दोहराने का अधिकार होता है। भू–प्रबन्ध के दौराने भू–प्रबन्धक को नई इन्ट्री करने का क्षेत्राधिकार नही है। ख0न0 620/122 की दक्षिणी सीमा से ख0न0 119 मे आने जाने के लिए कभी कोई रास्ता मौजूद नही रहा। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ख0न0 119 की जमीन मे ग्राम सोलाणा के रास्ता से ख0न0 117 व 118 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आता जाता रहा है। उक्त रास्ता गुगल मैप मे भी दर्शित है। जबकि गुगल मैप मे ख0न0 620/122 की जमीन मे से कोई रास्ता दर्शित नही हो रहा है। (=========) डोटेड लाईन से नक्शासीट मे अंकित रास्ते का मतलब अस्थाई रास्ता होता है। अस्थाई रास्ते का मतलब रबी व खरीफ की फसल काश्त होने के बाद बन्द हो जाता है तथा फसल काटने के बाद कुछ दिन के लिए काश्त होने के बाद बन्द हो जाता है तथा फसल काटने के बाद कुछ दिन के लिए काश्त की फसल को लाने ले जाने के लिए होता है। ख0न0 119 मे आने जाने के लिए नजदीकी वैकल्पिक रास्ता सोलाणा से वृन्दावन को जाने वाले आम रास्ता से ख0न0 104 व 119 के मध्य सिर्फ ख0न0 113 की जमीन लगती है। ख0न0 620/122 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे जो (=========) लाईन से रास्ते की इन्ट्री की गई है। उसको दुरूस्त करवाने के लिए अपीलान्ट ने अलग से चाराजोही कर रखी है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण मे धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने मे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जबाब देही का अवसर नही दिया एवं अपीलान्ट को सुना नही गया। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2021 एकपक्षीय मौका रिपोर्ट है जो रेस्पोडेन्ट नं0 1 से मिलीभगत करके बनाई गई है। कानून से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौका जांच रिपोर्ट दोनों पक्षकारों की उपस्थिति मे बनाई जानी चाहिए। मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2021 मे अपीलान्ट की उपस्थिति व ... के बारे मे कोई अंकन नही है। अपीलान्ट ने दिनांक 14.10.2021 को एक प्रा... प... अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि पूर्व मौका रिपोर्ट दिनांक 1...2021 एकपक्षीय जांच रिपोर्ट है जो गलत एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 ... नं0 1 मुकेश कुमार से मिलीभगत करके बनाई गई है। अतः मौका जांच रिपो... पुनः पक्षकारों को सूचित कर उच्च अधिकारी से मंगवाई जावे। अदालत मातहत ने दिनांक 14.10.2021 को आदेशिका मे लिखा है कि अप्रार्थी करणसिंह की ओर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया उपरोक्तानुसार अदालत मातहत ने प्रक्रियात्मक विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। दिनांक 22.09.2021 को अपीलान्ट को जबाब प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम अवसर दिये जाने बाबत आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेशिका मे दर्ज है। दिनांक 29.09.2021 को जो आदेशिका लिखी है उसमे प्रकरण की स्टेज नही लिखी। दिनांक 29.09.2021 तक अपीलान्ट की जबाब देही को बन्द नही किया तथा अन्तिम निर्णय पारित करने के पूर्व तक भी अपीलान्ट की जबाब देही को बन्द नही किया। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जबाब देही प्रस्तुत करने बाबत कोई अवसर नही दिया। इस प्रकार अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने मे अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कानूनन नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट मे लिखा है कि मौके पर (=========) लाईन की जगह पगडण्डी चालू है। इसका मतलब अपीलान्ट ने चालू पगडण्डी को अवरूद्व नही किया जबकि अपीलान्ट ने चालू पगडण्डी को अवरूद्व नही किया उस सूरत मे उक्त प्रकरण मे धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नही होते। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट मे चालू पगडण्डी को अवरूद्व करना नही बताया, जब चालू पगडण्डी अवरूद्व नही है उस सूरत मे अदालत मातहत ने पगडण्डी रास्ता को खोलने के आदेश गलत दिये है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त प्रकरण मे सिर्फ धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की आड मे धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का फायदा लेना चाहता है। मौका रिपोर्ट मे मौके पर पगडण्डी चालू बताई है। तथा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजूदा प्रकरण की मंशा के मुताबिक उक्त पगडण्डी को चौडा करवाना चाहते है। लेकिन उक्त पगडण्डी अपीलान्ट के खेत तक ही है जो निजी उपभोग की है। अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट नही है। आलौच्य निर्णय मे रेस्पोडन्ट नं0 1 के उक्त तथाकथित रास्ता के सुखाचार के अधिकार का आधार कैसे बनता है ऐसा आधार आलौच्य निर्णय मे दर्ज नही किया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय मे अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करना गलत लिखा है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 सुभाषचन्द्र रेस्पोडेन्ट नं0 1 मुकेश कुमार के साथ मिला हुआ है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के स्पोट मे कोई शपथपूर्वक साक्ष्य पेश नही की। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्व आलौच्य निर्णय पारित करने मे जल्दबाजी की है। मात्र दो माह के कम समय मे आलौच्य निर्णय पारित करने मे जल्दबाजी की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 14.10.2021 खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा [illegible] रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के समक्ष रास्ता चौडा करने [illegible] पत्र प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 [illegible] पंचायत है वहां प्रार्थना पत्र की सुनवाई पहले ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] दार द्वारा। तहसीलदार प्रकरण मे सीधे ही कार्यवाही नही कर सकता है। [illegible] लदार चिडावा ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। इस संबध मे 251 का दावा भी उपखण्ड अधिकारी के यहां चल रहा है। रेस्पोडेन्ट नया रास्ता मांग रहा है। रेस्पोडेन्ट का उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मे दावा खारिज हो गया इसलिए तहसीलदार को रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि के मौके पर रास्ता डोटेड है न कि कटानी। मौके पर रास्ता चालू है एवं मौके पर रास्ता 6 से 7 फीट चौडा है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अदालत मातहत की मंशा रास्ते को 15 गुणा 262 फीट लम्बा चौडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:46 IST
Reason: SelfAttested

करने की है। रास्ता चौडा करने का अधिकार तहसीलदार चिडावा को नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुने बिना निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बनाई गई है। प्रकरण मे अदालत मातहत को मुझ प्रभावित पक्षकार अपीलान्ट की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट बनवानी चाहिए थी। अपीलान्ट का जबाब भी अदालत मातहत ने ग्रहण नही किया। उक्त रास्ता मात्र पगडण्डी के रूप मे है जो पगडण्डी के रूप मे चालू है। उक्त डोटेड लाईन भी भू प्रबन्ध विभाग ने बिना अधिकार के रिकार्ड मे दर्ज कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 को निरस्त किया जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने 2019 आरबीजे 54, 2021 (1) डीएनजे (रेवन्यू) 661 एवं 2021 (2) आरआरटी 1115 की नजीरे पेश करते हुए वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 251 समरी प्रोसीडिंग है। पगडण्डी भी नियमानुसार 9–10 फीट चौडी होनी चाहिए। अपीलान्ट विवादित भूमि पर अवस्थित रास्ते को बन्द करना चाहता है। रास्ते की बाबत रेस्पोडेन्ट्स को सुखाचार का अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 2 का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि धारा 251 समरी प्रोसीडिंग है। पगडण्डी भी नियमानुसार 9–10 फीट चौडी होनी चाहिए। रास्ते की बाबत रेस्पोडेन्ट्स को सुखाचार का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का आरदेश दिनांक 14.10.2021 यथावत रखा जाता है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर
झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:46 IST
Reason: SelfAttested